

५६१४

पृष्ठा

महाराष्ट्र शासक

महाराष्ट्र राजसत्र परिकार कालायान

उत्तर भारत विभाग।

मुख्यमन्त्री
लोगों द्वारा दिए गए
दस्तावेज़ ०८-१०-१४

दौरा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी

उत्तर भारत।

दूर प्रशासन-००००००/०८-प्रशि०/आ०य०/दिशा-निर्दश/२०१८-१९/

दिनांक २७.०९.२०१८

विषय आशा संगिनी के द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं प्रतिपूर्ति राशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्दश।

महोदय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लगभग प्रत्येक 20 आशाओं पर एक क्लस्टर बनाते हुये एक आशा संगिनी का चयन किया गया है। आशा संगिनी, आशा सहायता तंत्र (ASHA Support System) का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। आशा संगिनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं के लिए एक मार्गदर्शक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करें तथा आशा द्वारा किये जाने वाले चिन्हित कार्यों का मूल्यांकन कर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करें। इस हेतु आशा संगिनी को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

1. आशा संगिनी की भूमिका एवं कार्य—

1.1. क्षेत्र भ्रमण कर आशा की सक्रियता का मूल्यांकन— आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं की सक्रियता भारत सरकार द्वारा वर्णित 10 बिन्दुओं पर निर्धारित करेगी। आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं के क्षेत्र का भ्रमण किया जाना चाहिए। आशा संगिनी को जिस आशा के क्षेत्र में भ्रमण करना है, उस आशा से सम्पर्क कर भ्रमण के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहिए। आशा संगिनी को अपने भ्रमण के दौरान आशा से उसके द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए। यदि आशा को किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा उसके कौशल में कोई कमी हो तो उसे यथा सम्भव जानकारी प्रदान करनी चाहिए एवं उसके कौशल वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। आशा संगिनी द्वारा अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रतिरोधी परिवारों से सम्पर्क किया जाना चाहिए एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आशा संगिनी को प्रत्येक भ्रमण में आशा की ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार आशा को ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका भरने में सहयोग देना चाहिए। भ्रमण के दौरान आशा संगिनी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आशा की सक्रियता का मूल्यांकन किया जायेगा :—

क्र०सं०	सूचक	परिभाषा	संगिनी से अपेक्षित कार्य
1	घर में प्रसव के मामलों में जन्म के प्रथम दिन नवजात के घर का दौरा	आशा से उसके क्षेत्र में पिछले 2 महीने में घर में पैदा हुए नवजात के बारे में पूछें तथा यह भी कि उनमें से कितनों के पास जन्म के पहले दिन गई थी। उसे सक्रिय मानने के लिए उसे सभी नवजात शिशुओं के पास गया होना हुआ चाहिए।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि विगत भ्रमण के बाद हुए समस्त गृह प्रसवों में आशा के साथ अवश्य किया जाना चाहिए।

आशा संगिनी कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्दश 2018-19

Page 1

Page 1

२०११/१३१३

2	नवजात देखभाल के लिए किये गये घर के दौरे जैसा एच०बी०एन०सी० दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट है	एच०बी०एन०सी० दिशा-निर्देशों के अनुसार आशा को अपने क्षेत्र के प्रत्येक नवजात के पास का भ्रमण करना है। उसे शक्तिय दर्ज करने के लिए उससे पूछें कि क्या वह अपने क्षेत्र में पैदा हुए कुल नवजातों में से कम से कम आधे या अधिक के पास गई थी अथवा नहीं और इनमें से प्रत्येक नवजात के लिए उसने दौरे की अनुसूची का पालन किया था कि नहीं।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि आशा द्वारा एच०बी०एन०सी० के अनुसार गृह भ्रमण किये जाने वाले किन्हीं दो घरों का भ्रमण आशा के साथ अवश्य किया जाये। यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि विगत माह जिन बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है उन बच्चों का गृह भ्रमण न किया जाये। यदि आशा के क्षेत्र में कोई उच्च जोखिम नवजात है तो आशा संगिनी अपने प्रत्येक भ्रमण में उसकी स्थिति की जानकारी आशा से प्राप्त करें।
3	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लेना /टीकाकरण को बढ़ावा देना	पूछें कि आशा ने पिछले महीने के ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लिया अथवा नहीं। यदि उसने पिछले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लिया हो तो उसे सक्रिय आशा दर्ज करें।	वी०एच०आई०आर० एवं ड्यू लिस्ट की मदद से आशा संगिनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आशा अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रही है।
4	संस्थागत प्रसव में सहयोग	आशा के क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के बारे में पूछें जिनके प्रसव की संभावित तिथि अगले महीने में है। आशा को केवल तभी सक्रिय दर्ज किया जायेगा जब उसने उन सभी महिलाओं के लिए प्रसव की योजना बनाई है, यदि वह किसी एक भी महिला की प्रसव की योजना बनाने में विफल रही हो तो उसे इस गतिविधि हेतु निष्क्रिय माना जायेगा।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि आशा द्वारा बनाये गये सभी महिलाओं के लिए प्रसव योजना को उनके वी०एच०आई०आर० के सम्बन्धित भाग से देखें।
5	बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों, खासकर दस्त और निमोनिया का प्रबंधन	आशा से उसकी दवा किट में दवाओं की स्थिति के बारे में पूछें। उसके क्षेत्र में पिछले महीने के दौरान 5 वर्ष से कम आयु वाले बीमार बच्चों की संख्या के बारे में पूछना चाहिए। यदि आशा ने कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक परिवारों ने अपने बच्चों की देखभाल या उपचार के लिए आशा की सलाह मांगी है तो	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि पिछले माह बीमार बच्चों की सूची में से जिन बच्चों को आशा द्वारा उपचार हेतु सलाह दी गयी है उनमें से किसी एक घर का भ्रमण आशा के साथ करने का प्रयास करें।

		आशा को सक्रिय दर्ज किया जायेगा।	
6	घरों के दौरे के साथ पोषण सम्बन्धी परामर्श	<p>घरों का दौरा करने और पोषण सम्बन्धी परामर्श देने के लिए आशा को निम्नलिखित घरों का नियमित दौरा करना चाहिए-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कमज़ोर एवं वंचित वर्ग ● ऐसे घर जिनमें 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों ● ऐसे घर जिनमें बच्चों में सामान्य स्तर का या गम्भीर कुपोषण है। <p>आशा से पूछें कि क्या उसे अपने क्षेत्र के ऐसे परिवारों की संख्या के बारे में पता है तब उससे पूछें कि पिछले 1 माह के दौरान कम से कम एक बार क्या वह उन सबके पास गई है और उनको पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया है अथवा नहीं। यदि वह ऐसे सभी परिवारों की संख्या बता देती है और कहती है कि पिछले एक माह में उसने ऐसे सभी परिवारों के पास कम से कम एक दौरा किया है और पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया है तो आशा को सक्रिय दर्ज किया जायेगा।</p>	<p>आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिकता के आधार पर कमज़ोर व वंचित वर्ग के घरों में से किसी दो घरों का दौरा आशा के साथ करने का प्रयास करें। कुपोषित बच्चों की जानकारी आशा संगिनी स्थानीय ऑग्नवाड़ी कार्यकर्त्री से प्राप्त कर सकती है।</p>
7	मलेरिया प्रभावित इलाकों में देखे गये बुखार के मामले/बनाई गई मलेरिया स्लाइड	<p>यदि आशा का कार्यक्षेत्र मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, तो आशा से पिछले एक महीने के दौरान बुखार के अन्तिम तीन मामलों के बारे में पूछे। उसके द्वारा ऐसे 50 प्रतिशत या अधिक मामलों में मलेरिया की स्लाइड बनायी गयी है अथवा आर डी के से जाँच की गयी हो और/या मलेरिया रोधी दवा दी गयी हो तो आशा सक्रिय समझना चाहिए।</p>	<p>आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों की आशा ने मलेरिया स्लाइड बनायी है/ आर0डी0के0जाँच या मलेरिया रोधी दवा दी हो तो उनमें से किसी एक रोगी के घर का दौरा करने का प्रयास करें।</p>
8	डाट्स कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत आशा	<p>यदि आशा वर्तमान में अपने क्षेत्र के नवीनतम टीबी के मरीज की जानकारी मिलने पर डाट्स कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही हो तो आशा सक्रिय है।</p>	<p>आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह आशा से ऐसे मरीजों के बारे में पता लगाये तथा मरीज का कार्ड भी देखे। यदि मरीज द्वारा नियमित रूप से दवाई नहीं प्राप्त की जा रही हो तो मरीज को इस सम्बन्ध में प्रेरित करे एवं पी0एच0सी0 पर सम्बन्धित अधिकारियों को</p>

			सूचित करे।
9	ग्राम स्वास्थ्य संवर्धना एवं पोषण समिति की बैठकों का आयोजन करना	यदि पिछले एक महीने में आशा ने कम से कम एक वी0एच0एस0एन0सी0 बैठक के आयोजन में सहयोग किया हो या भाग लिया है तो उसे इस कार्य में सक्रिय माना जाना चाहिए।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि आशा प्रतिमाह वी0एच0एस0एन0सी0 बैठकों में प्रतिभाग करे। यदि गत माह किसी कारणवश वी0एच0एस0एन0सी0 बैठक नहीं हुई है तो सम्बन्धित प्रधान से संपर्क कर नियमित बैठक हेतु प्रेरित करे।
10	आई0यू0डी0, महिला नसबन्दी, पुरुष नसबन्दी के सफल रेफरल के मामले और या खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (ओ0सी0पी0) / कण्डोम उपलब्ध कराना	आशा से उसके क्षेत्र में परिवार नियाजन के लिए पात्र दम्पत्तियों की संख्या के बारे में पूछे। आशा को पिछले एक महीने में एक या अधिक आई0यू0डी0 / महिला नसबन्दी / पुरुष नसबन्दी मामले को रेफर करने में सफल रही है और/या पिछले एक माह में दम्पत्तियों को खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (ओ0सी0पी0) / कण्डोम उपलब्ध कराया हो। रेफरल को तब सफल माना जायेगा जब आशा के परामर्श पर उन लोगों ने परिवार नियोजन के उपाय या साधन अपनाए हों।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है आशा के क्षेत्र में परामर्श कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता वृद्धि करे एवं वी0एच0आई0आर0 से सम्बन्धित भागों का अवलोकन करे।

- 1.2. यदि क्लस्टर में आशाओं की संख्या 19 से कम है, तो आशा संगिनी द्वारा सर्वप्रथम अपने सभी आशाओं के क्षेत्र में एक-एक दिन भ्रमण किया जायेगा, तत्पश्चात् शेष बचे दिनों में आवश्यकतानुसार अपने क्लस्टर की उन आशाओं का भ्रमण किया जायेगा, जिन्हें परफॉर्मेंस मॉनीटरिंग प्रोफार्म के अनुसार सर्वाधिक सहायतित पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि किसी भी एक आशा के क्षेत्र में माह में दो बार भ्रमण किया जाता है तो पहले एवं दूसरे भ्रमण के बीच में कम से कम 10 दिन का अंतराल हो। जिन आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण माह में दो बार किया गया हो, ऐसी स्थिति में आशा संगिनी द्वारा दोनों बार प्रपत्र भरें जायेंगे एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा द्वितीय पर्यवेक्षण किये गये प्रपत्र को ही ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।
- 1.3. यदि आशाओं की संख्या 19 से अधिक है, तो आशा संगिनी को प्रयास करना चाहिए कि माह में समस्त आशाओं के क्षेत्र में कम से कम एक बार भ्रमण अवश्य कर लिया जाये। इस हेतु जिन गाँवों में एक से अधिक आशायें हैं वहां एक दिन में 2 या 3 आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण किया जा सकता है। आशा संगिनी को इस कार्य हेतु एक ही दिन की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। यदि यह संभव नहीं हो पाया हो तो भी आशा संगिनी द्वारा कम से कम 19 आशाओं के क्षेत्र में प्रतिमाह भ्रमण करना आवश्यक होगा एवं अगले माह के भ्रमण में सर्वप्रथम उन आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण किया जाना है जिनका पर्यवेक्षण पिछले माह में नहीं हो पाया था। आशा संगिनी को अपने भ्रमण कार्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि कार्य निष्पादन में कमजोर आशाओं का पहले सहायतित पर्यवेक्षण किया जाये। आशा संगिनी को उपरोक्तानुसार 19 भ्रमण/कार्य दिवसों हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। आशा संगिनी द्वारा

प्रतिभाष समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सर्वोक्त प्राधिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित अपने क्षेत्र की कलस्टर बैठक में अवश्य प्रतिभाष आयेगी एवं उक्त बैठक में उपस्थिति को 20वें भ्रमण के रूप में अंकित किया जायेगा। इस प्रकार आशा संगिनी को माह में अधिकातम 20 कार्य दिवसों हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।

- 1.4. जहि आशा संगिनी एक दिन में एक से अधिक आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण करती है, तो उसके द्वारा सभी आशाओं के लिए फार्म भरे जायेंगे और ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) के सम्बन्धित भाग में आरूप लिखी जायेगी, परन्तु उसे केवल एक दिवस की ही प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।
- 1.5. आशा संगिनी के सुपरवाईजरी/रिपोर्टिंग प्रपत्र छपवाने हेतु धनराशि की व्यवस्था वर्ष 2018-19 की अनुमोदित कार्य योजना में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के एफ0एम0आर0 कोड संख्या 12.7.2 के अंतर्गत प्रति आशा संगिनी ₹0 50 की दर से की गयी है। आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना है।
- 1.6. ब्लॉक व जनपद स्तर के रिपोर्टिंग प्रपत्र— आशा संगिनी द्वारा किये गये कार्यों का आंकलन व समीक्षा करना आवश्यक है जिसे ध्यान में रखते हुए ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर आशा संगिनी की सक्रियता का आंकलन किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गयी है—
 - 1.6.1 प्रत्येक आशा संगिनी द्वारा रिपोर्टिंग प्रपत्र-2 में प्रस्तुत आँकड़ों को ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा रिपोर्टिंग प्रपत्र-3 पर त्रैमासिक आधार पर संकलित किया जायेगा।
 - 1.6.2 रिपोर्टिंग प्रपत्र-3 के आँकड़ों को रिपोर्टिंग प्रपत्र-4 पर ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यरत आशा संगिनी की सक्रियता की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/नामित आशा नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक स्तर की समस्त सूचनाएं प्रपत्र-4 पर अगले त्रैमास के पहले माह की 3 तारीख तक जनपद स्तर पर उपलब्ध करा दी जाये।
 - 1.6.3 रिपोर्टिंग प्रपत्र-5 को जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर त्रैमासिक आधार पर ब्लॉक में आशा द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की सक्रियता के आधार पर ब्लॉकों को 4 श्रेणियों में ग्रेडिंग की जायेगी।
 - 1.6.4 जनपद स्तर से प्रपत्र-5 पर संकलित सूचना अगले त्रैमास के प्रथम माह के 7 तारीख तक महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को भेजी जाये। उदाहरण के लिए प्रथम त्रैमास (माह अप्रैल से जून) की सूचना ब्लॉक स्तर से 3 जुलाई तक जनपद स्तर पर एवं 7 जुलाई तक राज्य स्तर पर अवश्य प्रेषित की जाये।
 - 1.6.5 सभी संलग्न प्रपत्र 1-5 आशा संगिनी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल आशा सहयोगियों के लिए मार्गदर्शिका में विस्तृत उदाहरण के साथ उपलब्ध है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ लिया जा सकता है।
2. आषा संगिनी डायरी— आशा संगिनियों द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यों के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से आशा संगिनियों को आशा संगिनी रजिस्टर दिया गया है। उक्त रजिस्टर में आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत आशाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, मासिक भ्रमण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, आशा संगिनी कलस्टर बैठक, आशा शिकायत, आशा झग किट रिफलिंग आदि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसवोपरान्त देखभाल, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, बीमार (0-5 वर्ष) बच्चों का प्रबंधन व देखभाल, मातृ एवं शिशु मृत्यु के सम्बन्ध में पृष्ठ सम्मिलित किये गये हैं। रजिस्टर में आशा संगिनी हेतु एक मासिक प्लानर भी दिया गया है, जिसके द्वारा आशा अपने प्रस्तावित भ्रमणों एवं किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षणों के सम्बन्ध में जानकारी अंकित करेगी।

इस वर्ष आशा संगिनी डायरी में ब्लॉक पर जमा करने हेतु प्रति— आशा संगिनी को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र को भी शामिल किया गया है। जिसे आशा संगिनी द्वारा प्रत्येक माह प्रपत्र भरने के उपरान्त डायरी में से उसकी कार्बन प्रति को फाड़ कर ब्लॉक पर जमा कर दिया जायेगा। आशा संगिनी को आशा संगिनी रजिस्टर भरने एवं कम से कम 3 भागों को मासिक रूप से अद्युनांत करने के लिए ₹0 300 प्रतिमाह की धनराशि प्राविधानित की गई है।

2.1 आशाओं के नियमित भुगतान का अभिलेखीकरण— आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र के समस्त आशाओं के पैमैंट वाउचर का अभिलेखीकरण किया जाना है। इस हेतु आशा संगिनी रजिस्टर के सम्बन्धित भाग-15 में वाउचर जमा करने की तिथि, सत्यापन की तिथि, वाउचर में अंकित कुल धनराशि, भुगतान की तिथि (PFMS द्वारा आशा के एकाउण्ट में धनराशि हस्तांतरण की तिथि) एवं भुगतान की गई धनराशि अंकित की जायेगी।

2.2 आशाओं के ड्रग किट रीफलिंग का अभिलेखीकरण— आशा संगिनी क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं के उपयोग के अनुसार औषधियों का विवरण अपनी आशा संगिनी डायरी में भाग-7 में माहवार अंकन करेगी व आपूर्ति हेतु आवश्यक दवाईयों को ब्लॉक स्तर से प्राप्त कर अपने भ्रमण के दौरान आशाओं को वितरित करेगी।

- आशाओं के वलस्टर बैठक के दौरान आशायें अपनी ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित आशा संगिनी को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे आशा संगिनी द्वारा अपनी आशा संगिनी डायरी में निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।
- तत्पश्चात् ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी आशा संगिनी की रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगा एवं आशा संगिनी के सहयोग से सभी आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी द्वारा उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक ब्लॉक स्तरीय फर्मासिस्ट के निगरानी में रखा जायेगा। (आशा ड्रग किट रीफलिंग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश आशा योजना के दिशा-निर्देश में दिये गये हैं।)

2.3 मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु सम्बन्धी जानकरी को अद्यतन करना— आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मृत्यु और मृत्यु के कारण को आशा संगिनी डायरी के भाग-14 में अभिलेखित करना है। आशा संगिनी यह सुनिश्चित करेगी कि मातृ मृत्यु की स्थिति में सम्बन्धित आशा द्वारा 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष के माध्यम से सूचना अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा आशा संगिनी को उपलब्ध करा दे। इसके अलावा आशा द्वारा 72 घण्टों के अन्दर मातृ मृत्यु की सूचना प्रपत्र-6 पर भरकर ऐ0एन0एम० या प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये।

2.4

3 आशा संगिनी मासिक वलस्टर बैठक हेतु दिशा-निर्देश— आशा संगिनियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, क्षमतावर्द्धन, अभिलेखीकरण, भुगतान एवं शिकायत का निस्तारण आदि को संबोधित करने के उद्देश्य से आशा संगिनी की मासिक बैठक आयोजित की जा रही है।

- 3.1 बैठक का आयोजन प्रत्येक माह के 30 तारीख को किया जाना है। यदि 30 तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है तो अगले कार्य दिवस के दिन बैठक आयोजित की जायेगी। संगिनियों की सहजता को ध्यान में रखते हुए बैठक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक किया जाये।
- 3.2 यह बैठक अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर न नियुक्त होने की दशा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिन्हित अन्य आशा नोडल अधिकारी द्वारा आयोजित की जानी है। बैठक में बी0पी0एम०, ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षकों एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- 3.3 बैठक का एजेण्डा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर के सहयोग से बैठक के पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।

3.4 बैठक का प्रस्तावित एजेण्डा का प्रारूप निम्नवत है -

क्र.सं.	विषय-हस्तु
1	पंजीकरण एवं स्थागत
2	चयनित विषय पर क्षमतावर्द्धन
3	संगिनियों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा
4	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशा भुगतान की स्थिति की समीक्षा एवं आशा भुगतान वाउचर जमा करना
5	आशा शिकायत एवं निराकरण
6	आशा इन किट रीफलिंग हेतु इडेन्ट उपलब्ध कराना
7	आशा संगिनी द्वारा प्रपत्र 1 एवं 2 जमा किया जाना
8	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
9	अन्य कोई विन्दु

- 3.5 ब्लॉक स्तर पर संगिनियों की बैठक हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें आशा संगिनियों की उपस्थिति निम्न प्रारूप पर अंकित की जाये।

बैठक का स्थान	दिनांक
क्र.सं.	आशा संगिनी का नाम

- 3.6 बैठक के दौरान ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा आशा संगिनी के गत माह किये गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी व अगले माह कार्य योजना पर विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी।
- 3.7 बैठक में प्रतिभाग करने वाली समस्त आशा संगिनियां अपना प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 भरकर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को जमा करेंगी ताकि उसका सत्यापन कर माह की 5 तारीख तक संगिनियों का भुगतान किया जा सके।
- 3.8 आशा संगिनी की बैठक की कार्यवृत्ति का अभिलेखीकरण ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किया जायेगा एवं उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।
- 3.9 बैठक में प्रतिभाग करने के लिए संगिनियों को ₹0 150/- की प्रतिपूर्ति राशि PFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
- 3.10 बैठक का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की समीक्षा बैठकों में की जायेगी।
- 3.11 जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर इन बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।
4. आशा संगिनी के रजिस्टर के मुद्रण हेतु दिशा-निर्देश— आशा संगिनी रजिस्टर का मुद्रण जनपद स्तर पर किया जाना है। इस हेतु जनपदों को आशा संगिनी की संख्या के आधार पर ₹0 175.00 प्रति रजिस्टर की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। रजिस्टर को निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार मुद्रित किया जाना है—

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. X 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ — 2 स्टेप्लड	28 से.मी. X 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

रजिस्टर का प्रिन्ट रेडी वर्जन कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लगभग 20 आशाओं पर एक आशा संगिनी का चयन कर उनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आशा संगिनी को प्रतिपूर्ति राशि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगी।

5.1 आशा संगिनी के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा—निर्देश— आशा संगिनी द्वारा किये गये कार्य हेतु प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना में मिशन फ्लैक्सीपूल के एफ0एम0आर0 मद सं0 3.1.1.6.2 व मद संख्या 3.1.3.1 के अंतर्गत कृत कार्यों के अनुरूप दिये जाने का प्राविधान है।

- **एफ0एम0आर0 मद सं0 3.1.3.1** प्रतिपूर्ति राशि रु0 250 प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 20 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम रु0 5000 तक प्रतिमाह (वास्तविक भ्रमण दिवसों के आधार पर), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिशा—निर्देश बिन्दु संख्या 1 में अंकित है। उक्त भ्रमणों के सापेक्ष प्रपत्र-1 तथा 2 आशा संगिनी द्वारा भुगतान वाउचर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा।
- **एफ0एम0आर0 मद सं0 3.1.1.6.2** यह प्रतिपूर्ति राशि रु0 300 प्रतिमाह प्रत्येक आशा संगिनी को देय होगी। इसके अंतर्गत आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह निम्नलिखित 3 गतिविधियां की जानी हैं और साथ ही इन गतिविधियों का अभिलेखीकरण अपनी आशा संगिनी डायरी में भी निर्धारित प्रारूप पर करना है। इस सम्बन्ध में दिशा—निर्देश बिन्दु संख्या 2 में अंकित है। उक्त के अतिरिक्त आशा संगिनी द्वारा प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशा संगिनी बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा संगिनी को रु0 150 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इस सम्बन्ध में दिशा—निर्देश बिन्दु संख्या 3 में अंकित है।

5.2 आशा संगिनी को अपने कार्य का भुगतान प्राप्त करने हेतु पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की रिपोर्ट आशा संगिनी की ब्लॉक स्तरीय बैठक मासिक बैठक में आशा संगिनी भुगतान वाउचर तथा मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र 1 व 2 पर भर कर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को जमा करना होगा। जिसके आधार पर प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके।

- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर का यह दायित्व होगा कि उक्त प्रपत्रों का सत्यापन कर अगले माह की 5 तारीख तक आशा संगिनी के खाते में PFMS वेब पोर्टल के माध्यम से धनराशि अवश्य स्थानान्तरित कर दी जाये।
- आशा संगिनी द्वारा भ्रमण के दौरान आशाओं के ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) के अन्तिम भाग में संक्षिप्त भ्रमण आख्या अंकित करना आवश्यक है। यह आशा संगिनी के कार्य सत्यापन में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की सहायता करेगा। उक्त अधिकारियों को चाहिए कि अपने क्षेत्रीय भ्रमण/आशा मासिक क्लस्टर बैठक के दौरान ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के निरीक्षण में आशा संगिनी भ्रमण को नोट कर लें ताकि सत्यापन कार्य में आसानी हो। किसी भी दशा में सत्यापन हेतु आशाओं से ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर बैठक के अतिरिक्त नहीं मंगाया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में आशा संगिनी को देय प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान की समीक्षा की जाये। आशा संगिनी का भुगतान बकाया होने की स्थिति में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से कारणों की जानकारी प्राप्त की जाये।

6. आशा संगिनी के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन—

6.1 आशा संगिनी के कार्यों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित क्लस्टर में विगत वर्षों में आशाओं द्वारा किये गये कार्यों को बेसलाइन हेतु आधार माना जायेगा।

- 6.2 आशा संगिनी द्वारा उनके क्लस्टर में किये गये आशाओं के कार्यों के आधार पर अर्जित परिणाम की गणना की जायेगी।
- 6.3 आशा संगिनी के कार्यक्रम में आशाओं के ज्ञान और कौशल में स्पष्ट वृद्धि होनी चाहिए एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों की लाभार्थियों तक पहुँच परिलक्षित होनी चाहिए।
- 6.4 आशा संगिनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का अनुश्रवण ब्लॉक, जनपद एवं आशा मैन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा तथा राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायगा।

भवदीया,

(डा०नीना गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्र पत्रांक-प०क०/०८-प्रश्न०/आ०यो०/दिशा-निर्देश/2018-19/ ५०३१ - ३०९ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन०एच०एम०, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
10. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त रीजनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।


(डा०नीना गुप्ता)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण